TITLE: Re: Protection of Catchment area of Historic Ramgarh Dam.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

मैं आपके माध्यम से राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध के संरक्षण को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। वर्ष 1902 में इस बांध का निर्माण हुआ और वर्ष 1933 से जयपुर के अंदर पेयजल सप्लाई शुरू हुई। रामगढ़ बांध वर्ष 2003 तक जयपुर जिले के लोगों की प्यास बुझाता रहा। वर्ष 1982 में एशियन खेलों में नौकायन प्रतियोगिता का भी साक्षी बना, लेकिन वर्ष 2004 से इस बांध का गला घोंटने का काम शुरू हुआ। अगले साल ही पानी आना बंद हो गया। फिर बांध सूखता चला गया। इसके कैचमेंट क्षेत्र का गला घोंटने के लिए रसूखदारों को बहाव क्षेत्र में ही जमीन आवंटन कर दी गई। इसके बाद अतिक्रमियों के भी हौंसले बुलंद होते गए।

सभापति महोदय, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने ?पहले मर गया रामगढ़ और फिर पुनर्जीवित करें रामगढ़?, शीर्षक से अभियान चलाया। खबरों पर, राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया और कई रसूखदारों की जमीन के आवंटन निरस्त हुए। 29 मई, 2012 को हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और भू- राजस्व अधिनियम को ध्यान में रखे बिना नदी, नाले, तालाब, बांध आदि से जुड़ी भूमि पर किए गए आवंटन को निरस्त करने के आदेश दिए। 3172 रेफरेंसेज को राजस्व मण्डल को भेजे गए। इसमें से अब तक 2052 रेफरेंसेज में निर्णय आए और 1650.61 हेक्टेयर जमीन को सिवायचक दर्ज किया गया। 35 प्रतिशत मामलों में फैसला आना बाकी है। रामगढ़ बांध और अन्य जल स्त्रोतों को बचाने और लगातार मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई राज्य स्तरीय हाईपावर कमेटी भी निष्क्रिय है। हालात यह है कि कमेटी की अंतिम बैठक ही करीब तीन साल पहले हुई थी। इसके बाद मामले की सुध ही नहीं ली गई। जबकि, माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में 9 विभागों के सचिव, प्रमुख शासन सचिव शामिल हैं।

सभापति महोदय, रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में कई रसूखदार को भूमि आवंटन किया हुआ है। यहां रिसोर्ट, होटल, फार्महाउस बने हुए हैं। माननीय हाईकोर्ट की फटकार के बाद भले ही सरकार ने इनके रेफरेंस राजस्व मंडल में भेज दिए लेकिन रसूखदारों के भूमि आवंटन निरस्त करने के लिए सक्रिय नहीं हैं। मैंने पूर्व में भी पत्र लिखकर जब इस बांध के संरक्षण की मांग प्रधानमंत्री जी से की तो जल शक्ति मंत्रालय ने 2 फरवरी, 2021 को मुझे पत्र के माध्यम से बताया कि बाँध पुनर्वास और सुधार योजना में राजस्थान के 189 बांधो में से रामगढ़ बाँध भी पुनर्वास हेतु सम्मिलित है लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

माननीय सभापति, मेरी मांग की है मंत्रालय इसकी वर्तमान स्थिति तलब करे और यदि राज्य ने नहीं भेजा है तो आप वहां से मंगवाए।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप एक ही निवेदन कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

राजस्थान माननीय हाई कोर्ट द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिए गए निर्णय को पूर्ण रूप से रामगढ़ बांध के बहाव क्षेत्र में लागू किया जाये और इस मामले में जो भी रेफरेंस विभिन्न न्यायालयों में लंबित है उनका माननीय उच्च न्यायालय तत्काल समयबध्द तरीके से निपटारा करे। इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले एनीकट का तुरन्त वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करवाकर हल निकाला जाए,

क्योंकि रामगढ़ बांध को पुनजीर्वित करना अत्यंत आवश्यक है। इसको लेकर केंद्र हस्तक्षेप करे

माननीय सभापति : प्रो. रामशंकर कठेरिया जी।

हनुमान जी, यह जीरो आवर है।

? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मुझे आधा मिनट बोलने की अनुमति दें।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : शून्य प्रहर में इतना लंबा भाषण नहीं दीजिए। आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

?(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, राजस्थान के 13 जिलों से जुड़ी अत्यंत महत्पूर्ण पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) जिससे रामगढ़ बांध में भी पानी लाने की योजना सम्मिलित है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री जी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में झिझक रहे है।

मेरी मांग है कि रामगढ़ बांध के संरक्षण के साथ ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और गेंद राज्य के पाले में नहीं डालें एवं कर्नाटक में जिस तरह विशेष पैकेज दिया उसी तर्ज पर राजस्थान की ERCP के लिए विशेष पैकेज दिया जाये।